


Handwritten notes in Hindi at the top left of the page.



Handwritten text in Hindi, possibly a title or header, located in the upper middle section.

Handwritten text in Hindi, likely a name or signature, located below the main title.

Handwritten signature or name in Hindi, located below the text above.

Handwritten text in Hindi on the right side of the page.

Main body of handwritten text in Hindi, containing several paragraphs of content.

प्रार्थी के अधिवक्ता को सूने एवं पत्रावली एवं

जमाबन्दी का अवलोकन करने तथा दरखास्तियों का

अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रकरण प्रथम दृष्टया

सुदृढ़ एवं सविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत

होता है। इसलिये प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम आदेश

पारित करना उचित समझते हैं।

अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई

निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वके ग्राम

जमवारामगढ़ तहसील जमवारामगढ़ में स्थित

आराजी कृषि मिस खसरा नं. 69, 81, में प्रार्थी के

कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दजी

नहीं करे, किसी प्रकार का बैदान हस्तांतरण

नहीं करे, प्रार्थी के उपयोग उपयोग में बाधा

उत्पन्न नहीं करे, किसी प्रकार का कच्चा पक्का

निर्माण नहीं करे, किसी प्रकार की तारबाउन्दी

नहीं करे, तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की

यथास्थिति बनये रहें। उक्त आदेश पर कोई

आपत्ति हो तो न्यायालय हाजि में आगामी तारीख

पेशी को पेश करे। पत्रावली दिनांक 25/6/18

70/2018

कफोड बनाम भजवानसहाय

प्राची कफोड प्रल. क अग्रणी । भजवानसहाय,
2- कालूराम, 8 सुनराज 9. शिखर 10,
नौरतन स्वयं उपस्थित। लोक अदालत की
भावना से दोनों पक्षों की सुनवाई की
गई। सुनने के उपरान्त भूतवाट को अपवित्र
डिक्की किया है उक्त प्रकरण प्रा० पञ्च
अन्तर्गत धारा 212 RT Act को
भूतवाट के वा- फैसला तक सम्पन्न किया
जाता है। पञ्चावली फैसला शुमार होकर
नम्बर 8 कक को वाद पूर्ण करिष्य
दस्तावेज है।


उपखण्ड अधिकारी
जमशारनगर